न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुरराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 51 / 17 (2017/00094)प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्रीमति मांगी पत्नि पुनम चंद हरिजन निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमति रामी पत्नि भागु रेगर निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. जगदीश आत्मज रामलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. सोनी पत्नि परथु भील निवासी रेवाडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह चुण्डावत – अधिवक्ता प्रार्थीया

निर्णय

दिनांक 10.05.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प अटल सेवा केन्द्र बोरियापुरा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रेवाडा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या **312/989** रकबा **0.86** हे0, भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीया की उक्त आराजी के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकिल निशानात नही होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने में दरम्यान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थीया को अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थीया की उक्त आराजी के चारों तरफ के पडौसी होने से उन्हें पक्षकार बनाये गये है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जवाब देते रहे। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 27.04.2017 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इन्कार हो गये। जिससे प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 01.05.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी सं0 1 से 3 व बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से

अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम रेवाडा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 312/989 रकबा 0.86 हे0, स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीया सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीया इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये **100 /– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी** शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस **100/– अक्षरे एक सौ रूपये** संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

10/5/17

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 10.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

10/5/17